प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता एवं माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

दाण्डिक अपील क्रमांक 514/1996

सुरेंद्र कुमार

- बनाम-

मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचार हेतु प्रस्तुत

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

मै सहमत हूं।

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु दिनांक 17/01/2012 **को सूचीबद्घ करें।**

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता एवं

माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

दाण्डिक अपील क्रमांक 514/1996

अपीलार्थी : सुरेंद्र कुमार, पिता विशाल कुमार, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी बाल्गी कॉलोनी, क्वार्टर क्र. एल/18, पुलिस थाना बांकीमोंगरा, तहसील कटघोरा, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश (वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से श्री सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री नीरज मेहता, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री किशोर भादुडी,, अतिरिक्त महाधिवक्ता ।

निर्णय

(17.01.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय **न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया—

(1) यह अपील, दिनांक 8 मार्च, 1996 को सत्र प्रकरण क्रमांक 38/1994 में सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 304-ख के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।

(2) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मृतका शोभना कुमार, अपीलार्थी की पत्नी थी। उसका विवाह अपीलार्थी के साथ वर्ष 1988 में संपन्न हुआ था। वह अपीलार्थी के साथ क्वार्टर क्रमांक एल/18, बाल्गी कॉलोनी में निवास करती थी। अपीलार्थी एस.ई.सी.एल., बाल्गी परियोजना के प्रोजेक्ट हॉस्पिटल में कंपाउंडर के पद पर कार्यरत था। दिनांक 15.10.1993 को लगभग सायं 4:00 बजे, अपीलार्थी अपने कर्तव्य पर गया था। लगभग 4:30 बजे, उसे अस्पताल में यह सूचना प्राप्त हुई कि उसके क्वार्टर से धुआँ निकल रहा है। इस सूचना पर वह तत्काल अपने घर पहुँचा, जहाँ उसने पाया कि मृतका बाथरूम में जली हुई अवस्था में पड़ी हुई थी। डॉ. दत्ता को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि मृतका की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा सूचना दी गई, जिस पर देहाती मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-

8) दर्ज की गई। शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.-5) के अनुसार, मृत्यु का कारण व्यापक मृत्यु पूर्व चोटों के कारण उत्पन्न शॉक था। अभियोजन का मामला यह है कि मृतका की माता कमलाबती (अ.सा.-3) के अनुसार, अपीलार्थी दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करता था। उसने चार किश्तों में अपीलार्थी को 16,000/- रुपये पहले ही दे दिए थे, किंतु अपीलार्थी द्वारा 20,000/- रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी और इसी कारण से वह मृतका को प्रताड़ित करता था। इस प्रताड़ना के कारण मृतका ने स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विद्वत सत्र न्यायाधीश ने कमलाबती (अ.सा.-3), धीरज मसीह (अ.सा.-5), सरला बोस (अ.सा.-10) तथा एन.पी. रावत (अ.सा.-11) के परिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यह दहेज मृत्यु का प्रकरण है तथा अपीलार्थी भा.दं.सं. की धारा 304-ख के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी है और तदनुसार अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दंडित किया गया।

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मृतका की मृत्यु से शीघ्र पूर्व दहेज की किसी मांग का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है; न ही मृतका के साथ किसी प्रकार की क्रूरता किए जाने का कोई प्रमाण है। यह दर्शाने हेतु अभियोजन द्वारा पूर्णतः कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया

गया कि या तो अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ क्रूरता की गई हो अथवा पिछले एक वर्ष के दौरान अपीलार्थी द्वारा दहेज की कोई मांग की गई हो। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से निकटता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तथा इस आधार पर दी गई दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता।

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित श्री किशोर भादुरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(6) कामेश पंजियार उर्फ कमलेश पंजियार बनाम बिहार राज्य, ***(2005) 2 SCC 388*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि — ***"****'मृत्यु से शीघ्र पूर्व' पदबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304- ख को लागू किया जाता है। अभियोजन पर यह दायित्व है कि वह यह स्थापित करे कि घटना से शीघ्र पूर्व क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था और केवल उसी स्थिति में विधिक अनुमान लागू होता है। इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना अभियोजन का कर्तव्य है। 'शीघ्र पूर्व' एक सापेक्ष शब्द है, जो प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और यह*

निर्धारित करने हेतु कोई अनम्य सूत्र नहीं बनाया जा सकता कि किस अवधि को 'शीघ्र पूर्व' माना जाएगा। किसी निश्चित समयावधि को निर्धारित करना जोखिमपूर्ण होगा, और इसी से 'निकटता परीक्षण' का महत्व उत्पन्न होता है, जो न केवल दहेज मृत्यु के अपराध को सिद्ध करने के लिए, बल्कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के अंतर्गत अनुमान स्थापित करने हेतु भी आवश्यक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की दृष्टांत (क) में प्रयुक्त 'शीघ्र पूर्व' शब्द का संदर्भ भी सुसंगत है। धारा 114 की दृष्टांत (क) के अंतर्गत 'शीघ्र पूर्व' की अवधि का निर्धारण प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय द्वारा किया जाना है। तथापि, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सामान्यतः 'शीघ्र पूर्व' का आशय यह होता है कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और प्रश्नाधीन मृत्यु के बीच का अंतराल अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच एक सजीव एवं निकट संबंध का होना आवश्यक है। यदि क्रूरता की कथित घटना समय की दृष्टि से अत्यधिक दूरस्थ हो गई हो और इतनी पुरानी हो चुकी हो कि वह महिला के मानसिक संतुलन को प्रभावित न करे, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता।" इसी प्रकार का दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रेम कंवर बनाम राजस्थान राज्य**, ***एआईआर 2009 SC 1242*** में भी पुनः दोहराया गया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) सुरेश कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, *2009 एआईआर एससी डब्ल्यू 4014* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मृतका की मृत्यु से एक वर्ष पूर्व किसी प्रकार का उत्पीड़न हुआ हो, तो मात्र उसी आधार पर—और बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के—उसे मृतका की मृत्यु से शीघ्र पूर्व की गई क्रूरता नहीं माना जा सकता तथा ऐसा साक्ष्य निकटता परीक्षण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

(8) श्री सिंह ने मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में मृतका की मृत्यु से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के भीतर अपीलार्थी की ओर से किसी भी प्रकार के दहेज मांग का पूर्णतः अभाव है। अतः अभियोजन कथित मांग और मृतका की मृत्यु के बीच कोई संबंध स्थापित करने में विफल रहा है। हमने सत्र न्यायालय द्वारा जिन साक्षियों के कथनों का अवलंब लिया गया है, उनके साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। कमलाबती (अ.सा.-3) ने अपने अभिकथन के कंडिका-6 में कहा कि अपीलार्थी उससे धन की मांग करता था तथा उसने चार किश्तों में अपीलार्थी को 16,000/- रुपये का भुगतान किया था। उसने यह भी कहा कि मृतका घटना से एक वर्ष पूर्व उसके घर आई थी और उसने बताया था कि अपीलार्थी उसके साथ क्रूरता करता था तथा उस समय अपीलार्थी ने मृतका को घर से निकाल दिया था। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में उसने यह भी कहा कि अपीलार्थी द्वारा 20,000/- रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी, किंतु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त राशि की मांग किस समय की गई थी। अतः यह स्पष्ट है कि यदि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धन की कोई मांग की गई थी और उस मांग के कारण मृतका के साथ क्रूरता की गई थी, तो वह घटना मृतका की मृत्यु से एक वर्ष पूर्व की थी। धीरज मसीह (अ.सा.-5) ने यह अभिकथन दिया कि कमलाबती उसे बताया करती थी कि अपीलार्थी मृतका के साथ क्रूरता करता है, किंतु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि ऐसी बातें किस समय कही गई थीं। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में उसका साक्ष्य अफवाह है, जो विधि में स्वीकार्य नहीं है। सरला बोस (अ.सा.-10) ने अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाया है। इसके विपरीत, उसने यह अभिकथन दिया है कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि अपीलार्थी और मृतका के मध्य कोई विवाद था या नहीं। इसी प्रकार, एन.पी. रावत (अ.सा.-11) ने भी मृतका की मृत्यु से शीघ्र पूर्व दहेज की मांग के कारण मृतका के साथ की गई क्रूरता के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य अपने अभिकथन में प्रस्तुत नहीं किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) श्री सिंह ने गुरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, *एआईआर 2011 एससी 3616* के निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से निकटता परीक्षण पर विफल है तथा अपीलार्थी दोषमुक्ति का हकदार है।

(10) अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के सम्यक् विवेचन पर, हमें यह प्रतीत होता है कि मृतका की मृत्यु की घटना से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के भीतर अपीलार्थी द्वारा दहेज की मांग के कारण मृतका के साथ क्रूरता किए जाने का कोई ठोस अथवा सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दहेज की मांग पर आधारित कथित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच किसी भी प्रकार के निकट एवं सजीव संबंध के अस्तित्व का अभाव है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि मृतका को उसकी मृत्यु से शीघ्र पूर्व अपीलार्थी द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, जो कि भा.दं.सं. की धारा 304-ख के अंतर्गत दंडनीय अपराध का एक आवश्यक तत्व है। हमारा मत है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से निकटता परीक्षण में असफल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इसके अतिरिक्त, कमलाबती (अ.सा.-3) ने अपने अभिकथन में यह भी कहा है कि उसने मृतका की गर्दन पर गला दबाए जाने के गहरे निशान देखे थे तथा मृतका की आँखें एवं जीभ बाहर निकली हुई थीं। ये सभी तथ्य उसके द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित डायरी कथन (प्रदर्श डी-3) में लोप हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान जब उक्त महत्वपूर्ण लोप के संबंध में उससे प्रश्न किए गए, तो वह उसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी और मात्र यह कहा कि उसने ये सभी बातें पुलिस को बताई थीं और संभव है कि पुलिस ने उसका कथन

बदल दिया हो। ये लोप महत्वपूर्ण एवं तात्विक हैं, जो उसके परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करती हैं।

(14) उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 304-ख के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह बताया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर है; अतः उसका जमानत मुचलका निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूति उन्मोचित किए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

सही/-

सुनिल कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Angel Kujur , Advocate